FD

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ (जिला झुझुंनू) राज.

पीठासीन अधिकारी	:–	**श्री जयसिंह (आर.ए.एस.)**
राजस्व वादपत्र संख्या	:–	**55 / 2023**
जीसीएमएस नं.	:–	**2023 / 140**

1. बिशन सिंह पुत्र स्व. नारायणसिंह
2. अमर सिह पुत्र स्व. नारायण सिंह जाति राजपुत निवासीगण ग्राम कुमावास तहसील नवलगढ़, जिला झुझुंनू

वादी

बनाम

1. गुलाब कंवर पत्नी कमल सिंह
2. गिरवर सिह पुत्र कमल सिह
3. जितेन्द्र पुत्र कमल सिंह
4. सज्जन कंवर पत्नी रूघनाथ सिंह जाति रावणा राजपूत निवासीगण ग्राम कुमावास तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
5. उम्मेद सिंह पुत्र शिवचन्द जाति जाट निवासी ग्राम कुमावास
6. प्रबन्धक,बडोदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुमावास
7. तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुझुंनू (राज.)

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते विभाजन व दुरूस्ती रिकार्ड

तारीख रजू : **04.05.2023**

वकील वादी– श्री अमरसिह शेखावत
वकील प्रतिवादी 1 लगा.5 – श्री सुरेश कुमार सैनी
वकील प्रतिवादी सं. 6 लगा.7– एक पक्षीय

–::निर्णय::–

निर्णय दिनांक : **11.03.2024**

वाद वादी इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम कुमावास मे काश्त की भूमि 368,387 रकबा कमशः 1.13, 1.93 कुल रकबा 3.06है0 मे से प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

हजफ/हटाया जाकर वादीगण व प्रतिवादी नं. 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार भूमि ख.न. 108,109,110,112 रकबा क्रमशः 1.11,0.97,0.45,0.47 है0 कुल रकबा 3.00 है0 मे से वादीगण व प्रतिवादी नं. 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ/हटाया जाकर प्रतिवादी नं. 1 लगा. 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार से अलग अलग खाता कायम किया जाकर विधिवत विभाजन किया जावे।

वाद वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण कि जारी की गई। वादी व प्रतिवादीगण ने न्यायालय मे उपस्थित हो एक राजीनामा पेश किया जिसके अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

वादी व प्रतिवादीगण कर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से अपने अपने हिस्से कि भूमि का विधिवत विभाजन करवाने के अधिकारी है और इस प्रकरण मे लोक अदालत कि भावना से राजीनामे अनुसार प्रकरण निर्णित किये जाने का निवेदन किया गया है। इसलिये वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

वाद वादी पोषणीय तथा न्यायोचित होने से प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया है तथा आदेश दिया जाता है कि, ग्राम कुमावास मे काश्त की भूमि 368,387 रकबा क्रमशः 1. 13, 1.93 कुल रकबा 3.06है0 मे से प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ/हटाया जाकर वादीगण व प्रतिवादी नं. 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। भूमि ख.न. 108,109,110,112 रकबा क्रमशः 1.11,0.97,0.45,0.47 है0 कुल रकबा 3.00 है0 मे से वादीगण व प्रतिवादी नं. 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ/हटाया जाकर प्रतिवादी नं. 1 लगा. 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार से रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर, अलग अलग खाता कायम किये जाने तथा विधिवत विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व से जिन खातेदान कि भूमि बैंक रहन दर्ज है, दुरूस्ती व विभाजन पश्चात् उनके हिस्से की सम्पूर्ण भूमि बैंक रहन दर्ज कर दी जावे। पक्षकारों द्वारा दिनांक 7/8/2023 को प्रस्तुत राजीनामा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विवादित कृषि भूमि के बारे में इस न्यायालय के निर्णयानुसार, तथा माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 लगायत 21 को मध्यनजर रखते हुए पक्षकारान की मौजुदगी में युक्तियुक्त रास्तो को ध्यान में रखते हुए हिस्सेनुसार, पक्षकारान के कब्जे काश्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर अविलम्ब इस न्यायालय को प्रेषित करे। मौका कमीशनर फीस राशि 1000/— रूपये, अक्षरे— एक हजार रूपये 30 दिवस मे विभाजन प्रस्ताव पेश न्यायालय करने की शर्त पर वादीगण द्वारा देय होगी। उक्त कमीशन राशि का भुगतान वादीगण द्वारा किया जावेगा।

तहसीलदार नवलगढ़ से विभाजन प्रस्ताव पत्रांक/भू.अ./2023/1446 दिनांक 12/12/2023 द्वारा पेश हुआ। बहस अधिवक्ता पेश होने पर बगौर सुनी गई, दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने निवेदन किया कि माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाने की इस्तदुआ की है तथा दौराने बहस निवेदन किया कि हमें बंटवाड़ा रिपोर्ट स्वीकार है लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट वादीगण का वाद अंतिम डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

FD

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा– कुमावास के खसरा नं. 108,109,110,112,386,387 भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा सं.	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान (रुपए)	रंग
1	अमरसिंह पुत्र नारायण सिंह हि. 307/1224 जाति राजपूत , उम्मेद सिंह पुत्र शिवचन्द हि. 101/408 जाति जाट, बिशन सिंह पत्रु नारायण सिंह हि. 307/612 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	386 387	1.13 1.93	बा. 1 बा.1 1.72 बा.2 0.21	10.33 15.72 1.30	-
	किता –	02	3.06	बा.1– 2.85 बा.2– 0.21	27.35	-
2	गुलाब कंवर पत्नी कमल सिंह हि. 1/3, सज्जन कंवर पत्नी रघुनाथ सिंह हि. 1/6, गिरवर सिंह पुत्र कमल सिंह हि. 1/4 ,जितेन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह हि. 1/4 जाति रावणा राजपूत सा. देह खातेदार (गुलाब कंवर का हि. 1/3 गिरवर सिंह का हि. 1/4, जितेन्द्र सिंह का हि. 1/4 राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कुमावास)	108 109 110 112	1.11 0.97 0.45 0.47	बा.1– बा.1– बा.1– बा.1–	10.15 08.87 04.11 04.30	-
	किता–	04	3.00	बा.1–	27.43	-

तदनुसार तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, राजस्व रिकॉर्ड में राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग माना जावे। अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2024 को सर–ए–इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जयसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़
(जिला–झुंझुंनू)

Scanned with CamScanner

FD

अंतिम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम नवलगढ़ जिला–झुंझुंनू
बईजलास :–श्री जयसिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व वादपत्र संख्या :– **55/2023**
जीसीएमएस नं. :– **2023/140**

1. बिशन सिंह पुत्र स्व. नारायणसिंह
2. अमर सिह पुत्र स्व. नारायण सिंह जाति राजपुत निवासीगण ग्राम कुमावास तहसील नवलगढ़, जिला झुझुंनू

वादी

बनाम

1. **गुलाब कंवर पत्नी कमल सिंह**
2. **गिरवर सिह पुत्र कमल सिह**
3. **जितेन्द्र पुत्र कमल सिंह**
4. **सज्जन कंवर पत्नी रूघनाथ सिंह जाति रावणा राजपूत निवासीगण ग्राम कुमावास तहसील नवलगढ़, जिला झुझुंनू**
5. **उम्मेद सिंह पुत्र शिवचन्द जाति जाट निवासी ग्राम कुमावास**
6. **प्रबन्धक,बडोदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुमावास**
7. **तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुझुंनू (राज.)**

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते विभाजन व दुरूस्ती रिकार्ड

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू .श्री लाखाराम (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुंनू (राज.) व हाजरी श्री अमरसिह शेखावत, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई एवं अधिवक्ता प्रतिवादी श्री सुरेश कुमार सैनी मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **सरहद मौजा– कुमावास के खसरा नं. 108,109,110,112,386,387 भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:–**

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा सं.	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान (रुपए)	रंग
1	अमरसिंह पुत्र नारायण सिंह हि. 307/1224 जाति राजपूत , उम्मेद सिंह पुत्र शिवचन्द हि. 101/408 जाति जाट, बिशन सिंह पत्रु नारायण सिंह हि. 307/612 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	386 387	1.13 1.93	बा. 1 बा.1 1.72 बा.2 0.21	10.33 15.72 1.30	-

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

FD

	किता –	02	3.06	बा.1–2.85 बा.2–0.21	27.35	-
2	गुलाब कंवर पत्नी कमल सिंह हि. 1/3, सज्जन कंवर पत्नी रघुनाथ सिंह हि. 1/6, गिरवर सिंह पुत्र कमल सिंह हि. 1/4 ,जितेन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह हि. 1/4 जाति रावणा राजपूत सा. देह खातेदार (गुलाब कंवर का हि. 1/3 गिरवर सिंह का हि. 1/4, जितेन्द्र सिंह का हि. 1/4 राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कुमावास)	108 109 110 112	1.11 0.97 0.45 0.47	बा.1– बा.1– बा.1– बा.1–	10.15 08.87 04.11 04.30	-
	किता–	04	3.00	बा.1–	27.43	-

तदनुसार तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, राजस्व रिकॉर्ड में राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग माना जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।

जन..........–.............. मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–........ ....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 11 माह 03 सन 2024 को जारी किया गया।

(जयसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़
(जिला–झुझुंनू)

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	–	मुतफरिक मिजान	–

Scanned with CamScanner